6/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण को सम्मन जरिए डाक से भेजे एक माह से अधिक का समय हो चुका है। सम्मन अदम तामिल लौटकर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः तामिल सम्पन्न मानी जाती है।

सम्यक तामील के उपरान्त अप्रार्थीगण हाजीर नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई।

बहस सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि विवादित आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार हैं व विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

अतः वाद की बहुलता को रोकने एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने के लिए विवादित वाद के चरण स. ② में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को तारीख सुनवाई मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)